

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना )

प्र0स0  
05/19

ता0 रजु:  
3-6-19

किस्म मुकदमा  
SILACT

निर्णय दिनांक  
18-6-19

सरकार

बनाम श्री रामेश्वर पुत्र श्री हरीराम जाति धाकड़  
निवासी दहगावा तह0 बयाना

अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट

निर्णय


पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का दहगावा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम दहगावा के खसरा नं. 187 रकवा 0.29 में से रकवा 0.02 किस्म भूमि पारा पर सम्वत 2006 में श्री रामेश्वर पुत्र हरीराम जाति धाकड़ नि0 दहगावा तहसील बयाना ने मकान बाड़ा कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलव किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित /अनुपस्थित हमने पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिव्वावर्क /चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नं. 187 रकवा 0.02 वाके ग्राम दहगावा से बेदखल किया जाता है। लगान ..... को 0.08 50 गुणा पैनल्टी राशि 4/- से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली कर खडी फसल को कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध निर्माण ध्वस्त कर वेदखली बावत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18-6-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली को नाम राजेश  
वा. के. नं. 04 के पेज नं. 4  
दिनांक 12.6.19 को वं 2019-20  
पैनल्टी रु. 4 फसल नीलामी  
की जा चुकी है।

  
तहसीलदार  
बयाना

तहसीलदार राजेश देसाय  
भरतपुर न्यायालय